दुनियां के मज़दूरो एक हो
जनवादी संयुक्त मोर्चा जिन्दाबाद

कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम
और
उसकी नीति-घोषणा

हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की
केन्द्रीय कमेटी द्वारा प्रस्तुत

शब्द:

इस पुस्तिका में दो छोटे छोटे निबन्धों- “हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट प्रार्टी का प्रस्तावित कार्य-क्रम ” और “कम्युनिस्ट पार्टी का संग्रह है।

इस पुस्तिका के पढ़ने से आप कम्युनिस्ट पार्टी की नई नीति और कार्य-क्रम के सम्बन्ध में काफी जानकारी हासिल करेंगे। जैसे जैसे सामाजिक परिस्थितियां बदलती है वैसे वैसे मज़दूर वर्ग की पार्टी अपनी नीति और कार्य-क्रम का निर्माण करती है। आज हमारा देश जिन सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में रह रहा है, जिन शक्तियों की अगुवाई में हम देश की मुक्ति और खुशहाली का आनदोलन चल रहा है, आपको उनका पुरी मार्क्सवादी-लेनिनवादी समझ इसमे मिलेगी। हमारे मुक्ति संघर्ष का क्या स्वरुप है और उसका कहां अन्तिम पर्यवसान होगा तथा हमारी क्रान्ति रुस के रास्ते चलेगी या चीन के अथवा उसका स्वतंत्र हिन्दुस्तानी रास्ते होगा, इन सभी प्रश्नों का आपको यहाँ उचित उत्तर मिलेगा।

इस कार्य-क्रम को अवश्य पढिये, विचार कीजिये और इस पर अमल करके देश के मुक्ति सघंर्ष को व्यापक और विशाल बनाइये।

२६-०८-५१ **मेरठ**

निवेदक

जिला कम्युनिस्ट पार्टी

१- कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्तावित कार्य-क्रम

पूर्ण आज़ादी और जनता के जनतंत्र के
लिये कम्युनिस्ट पार्टी का कार्य-क्रम

“भारतीय कम्युनिसट पार्टी के पालिट ब्यरोकी बैठक में काफ़ी बहस के बाद हाल में उद्देश्यों और लक्षयों पर नये सिरे से प्रकाश डाला गया है। पार्टी सदस्यों में जो बहसमुबाहसा हुआ है उसके फलस्वरुप पार्टी ने अपनी कार्यनीति के भी काफी परिवरर्त्तन के साथ फिर से तैयार करने का फ़ैसला किया है। कार्य-क्रम पक्राशित किया जा सकता है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्तावित कार्यक्रम

१- भारत के अंग्रेज़ साम्राज्यवादी शासकों ने १६४७ में जब दिल्ली में राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार स्थापित की और घृणित ब्रिटिश वाइसराय और गवर्नर इस देश से बिदा हुए तो भारतीय जनता को यह विश्वास कराया गया कि “विदेशी साम्राज्यवादी शासन ख़तम हो गया है भारत को स्वतन्त्रता और स्वराज्य मिल गया है, अब अपनी ज़मीन और श्रम के साधनों की मदद से सरकार और जनता अपने करोड़ों देशवासियों के लिए एक सुखी जीवन का निर्माण कर सकेंगे और अब हम अपनी ग़रीबी को धीरे-धीरे मिटाने के काम में लग सकेंगे व हर एक आदमी के लिए खाना, कपड़ा, घर और जीवन की कम से कम आवश्यकताओं की गारंटी कर सकेंगे।

नेहरु सरकार ने हर मानी में जनता की आशाओं पर पानी फेरा

२- नेहरु सरकार की ४ साल की हुकूमत ने जनता की आशाओं पर हर तरह से पानी फेर दिया है। अनुभव ने उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार जो आम जनता की बहादुराना लड़ाइयों के बल पर

सत्तारुढ़ हुई थी, ब्रिटिश साम्राज्यावादियों कि राय से गद्दी पर बिठायी गयी; क्योंकि उसने पहले से ही वादा कर लिया था कि वह भारत में विदेशी ब्रिटिश पूँजी कि रक्षा करेगी और उसे क़ायम रक्खेगी। उसने यह भी वादा किया कि वह उन निठल्ले ज़मीदारों और देशी राजाओं कि सम्पत्ति की रक्षा करेगी और उन्हें क़ायम रखेगी जिन्होंने सदियों से विदेशी हमलावरों का समर्थन किया था और उनसे मिलकर हमारे देश और जनता को लुटा था। यही कारण है कि आाम जनता के जीवन के हर क्षेत्र में सरकार ने जनता से किये अपने वादों को पुरा नहीं किया है। प्रति दिन आम जनता की ज़िन्दगी बद से बदतर हो रही है। लेकिन ज़मीदार और सुनाफ़ाख़ोर जनता को लुट का पहले से भी धनी होते जा रहे है।

मज़दुरों की हालात और भी बदतर हुई है

३- कारखानों, रेलवे, जाहज़ी कारखानों और (चाय) बाग़ों आदि में काम करने वाले ५० लाख मज़दूर असली मज़दूरी में कमी, (चीज़ों के रोज़ाना) बढ़ते दाम और पैदावार के तरीक़ों में पुँजीवादी रेशनेलाइजेशन के शिकार है। बेहतर मज़दुरी और अच्छी हालत के लिए उनके आन्दोलन गोलियों और पुलिस आतंक द्वारा खून में डुबोये जाते है। सरकार और उसके गुर्गो द्वारा मज़दूरों के लड़ाकू ट्रेड यूनियानों में तोड़-फोड़ की जाती है, उनमें फूट डाली जाती है और उन्हें दवा दिया जाता है। जनता के नाम पर अधिक उत्पादन की मांग करके सरकार मज़दूर वर्ग पर और बुरी हालात लाद देती है और मुनाफ़ाख़ोरों को अपना मुनाफ़ा बढ़ाने देती है।

किसान पहले की ही तरह पीसे जा रहे हैं

४- हमारे करोड़ों किसान जो हमारी जनता के ८० फ़ीसदी है पहले की ही तरह पीसे जा रहे है। ज़िनके पास ज़मीन है और जो उसमें खेती का सकते हैं उनकी मेहनत का फल, बेहद लगान और सूद की शकल में और पुँजीवादी बाज़ारों की चालों से ज़मीदार और महाजन तथा टैक्सों की शकल में सरकार लूट लेती है। लेकिन तीन चौथाई किसानों के पास ज़मीन नहीं है और जिन्हें मज़दूरी नहीं मिलती वे हमेशा मोहताज की ज़िन्दगी बसर करते है। जिन्हें ज़मीदार या साहूकार की ज़मीन पर खेत मज़दूर या ग़रीब काश्तकार की तरह मिल जाता है उन्हें गुलाम या अर्द्रदास की तरह जीवन बिताना पड़ता है। उन्हें इतना भी नहीं मिलता कि अपने परिवार का पेट-पालन कर सकें। इसकी वजह से अनाज और कच्चे माल का उत्पादन गिरता जा रहा है और जिसका नतीजा देश में सबसे भयंकर अत्र संकट और लाखों की भुखमरी और मौत है। ज़मीदारों और मुनाफाख़ोरों द्वारा चलायी जाने वाली यह सरकार जब ज़मीदारी प्रथा मिटाने के

लिए शोर मचाती है। तो वह असल में करोड़ों रुपये के मुआवज़े की शक्ल में ऐसी योजनाएँ ही बनाती जिससे किसानों की मेहनत से निकाले गये टैक्सों में से जनता पर अत्याचार करने वाले इन ज़मीदारों को अप्रत्यक्ष रुप से उनका लगान दिलाया जा सके। ज़मीन कि मांग और लगान टैक्सों और सूद में कमी की मागों को लेकर किसानों के आन्दोलनों को भी मज़दूरों के आन्दोलनों के साथ खून में डुबोया जाता है। गांव के गांव, तालुके और ज़िले फौज और पुलिस के हवाले कर दिये जाते है कि उन्हें ज़मीन दी जाय, उनके लगान कम किये जाँय, सूद कम किये जायँ, मज़दूरी बढ़ाई जाय और उनकी हालत बेहतर बनायी जाय।

मध्यम वर्ग के सामने भी वे ही समस्याएँ

५- शहरों में मध्यम वर्ग के हालत इससे बेहतर नहीं है। रहल-सहन का ऊँचा ख़र्च, घटती तनख्वाहें और बेकारी उनके मत्थे भी पड़ी है। सरकारी दफ़्तरों, बैकों, बिमा कम्पनियों, स्कूलों और कालिजों में तनख़ाह पाने वाले मध्यम वर्ग के सामने जीवन की वे ही समस्याएँ हैं जो मज़दूर और मेहनती किसान के सामने है।

उधोगपति भी परेशान

६- परदे की आढ़ में काम करने वाले अंग्रेज सलाहकारों की पूरी तरह मुठ्टी में रहने वाली इस एकाधिकारी पूंजीपतियों, ज़मींदारों और देशी राजाओं की सरकार ने उद्योगपतियों, कारखानेदारों और व्यापारियों को भी अपनी नीति से नुक्सान पहुंचाया है।

सरकारी मशीन के नौकरशाहों द्वारा पूँजी, कच्चा माल, यातायात, आयात निर्यात के लाइसेन्सों आदि की मंजुरी इस तरह दी जाती है जिसमें छोटे उधोग पतियों, और व्यापारियों को नुकसान हो बैंकों और विदेशी फर्मों के सिंडीकेटों से सम्बन्धित बड़े एकाधिकारी पूँजीपतियों को मुनाफा हो।

योजनाएँ लूट का साधन बनीं

७- पुनर्निर्माण की योजनाएँ अर्थात नहरों, जलविधुत-स्टशनों, कारखानों आदि के निर्माण की योजनाएँ- चाहे वे राज्य की हों या राज्य और निजी पुँजी को मिलाकर हों- सिर्फ उनको छोड़ कर जिनका युद्ध के सामान से निर्यात और सप्लाई की विदेशी फर्मों, विभागों के ऊँचे पदों के नौकरशाहों और सट्टे बाजार के सटोरियों द्वारा राज्य के बजट को लूटने का साधन बन रही है। चोरबाजारियों द्वारा जनता को लूटने के कारण जनता की तरफ से उघोगों के राष्ट्रीयकरण की मागं की जा रही है। लेकिन इस मांग की आड़

में राज्य के बजट को ठगा जाता है। दिवालिया और टूटे-फूटे कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तथा बोगस स्कीमों में साझा किया जाता है। आखिर में, जब ये कारखाने और स्कीमें फेल हो जाती है तो उन्हें सरकारी पिट्ठुओं या निजी पूँजीपतियों के हाथ बेच दिया जाता है। इस सरकार ने देश का औधोगीकरण अंग्रेजों और अमरीकियों की दया पर डाल रखा है। लेकिन अंग्रेज-अमरीकियों का स्वार्थ इसमें निहीत है कि भारत एक उघोगी राष्ट्र बन जाय। इसका नतीजा यह हो रहा है कि ब्रिटिश पूँजी के चक्के से बंधी इस सरकार के जरिये देश का औद्योगीकरण नहीं बढ़ पा रहा है।

औद्योगीकरण ठप-पुराने उद्योग भी संकट में

८- जो कुछ उद्योग है भी, वे भी अपने को बराबर संकट में पा रहे है। आम जनता की बढ़ती हुई गरीबी के कारण, खासकर किसानों की गरीबी के कारण, देश के अंदर उन्हें उचित बाजार नहीं मिलता। बाहर और देश के अंदर भी उन्हें विदेशी कारखानों और उपनिवेशी दुनिया के साम्राज्यवादी प्रभुओं की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और इस तरह उनके सामने गतिरोध पैदा हो गया है।

लड़ख़ड़ाती सरकार दमन पर उतारु

९- इन सबके ऊपर बात यह है कि लड़खड़ाती हुई सरकार जब आम जनता के बढ़ते हुए असन्तोष को सामने देखती है तो अपने को गद्दी में बनाये रखने के लिए जनता के सभी नागरिक अधिकारों का दमन करती है, राजनीतिक पार्टियों और समुहों को गैरकानूनी घोषित करती है, ट्रेड यूनियनों और जनता के दूसरे संगठनों पर रोक लगाती है, हजारों मजदूरों, किसानों, छात्रों, स्त्रियों और पुरुषों को जेलखानों और यातना शिविरों में बन्द करती है। स्थानीय कांग्रेस नेता और देहातों में जमींदारों की मदद से पुलिस अफसर और नौकरशाह सर्वोच्च हुक्मरां हो जाते है। फिर ताज्जुब वया कि इस तरह के पुलिस राज को चलाने में टैक्स का भार बढ़ता रहे और बजट का ५० फीसदी से अधिक हिस्सा जनता के खाने, कपड़े, घरों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पर नहीं; बल्कि फौज, पुलिस, जेलखानों और नौकरशाहों पर खर्च किया जाये।

१०- भारत की जनता धीरे- धीरे यह सरकारी जा रही है कि इन बातों का मतलब क्या है। वह यह महसूस करती जा रही है कि जमींदारों, देशी राजाओं, पूँजी के घड़ियालों और सट्टेबाजों की इस सरकार की, जो ब्रिटिश कामनवेल्थ और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की इच्छाओं के सहारे चलती है, बदलना जरुरी है। जनता जिसका भ्रम टूट गया है, संघर्ष में धीरे-धीरे डट रही है। भुखमरी और मौत की हालात को वह

अब और ज्यादा बरदाश्त नहीं कर सकती। शहरों में मज़दूरों के संघर्ष और देहातों में किसानों के प्रतीरोध के रुप में वह उठ रही है।

११- ब्रिटिश साम्राज्य से सहयोग करने वाली, ज़मींदारों, देशी राजाओं और बढ़े पूँजीपतियों की इस सरकार को खत्म करने की इच्छा वाले सभी वर्गो और पूरी जनता की बढ़ती एकता को तोड़ने के लिये, यह सरकार पुलिस दमन के अलावा दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करती है।

१२- इस बात को अच्छी तरह जानते हुए कि आम जनता हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूरी तरह मुक्त कराना चाहती है सरकार ने भारत को प्रजातन्त्र घोषित किया। लेकिन वास्तव में साम्राज्यवाद से अपने सम्बन्ध तोड़ने की इच्छा न रखने के कारण उसने बेशर्मी के साथ प्रजातन्त्र साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया है।

कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य की सदस्यता केवल नाम के लिए है। लेकिन असली बात यह नहीं है। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में भारत सरकार ब्रिटेन और अमरीकी प्रतिद्वन्द्विता का अपने हित के लिए फायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन असल में वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वैदेशिक नीति का ही पालन करती है। यद्यपि जनता के दबाव के कारण जो युद्ध नहीं, शान्ति चाहती है, वह शान्ति के पक्ष में और एटम बम के खिलाफ बात करती है लेकिन फिर भी वह कोरिया में अमरीकी फौजों को मदद भेजने में नहीं हिचकी है- यद्यपि यह मदद नाममात्र की डाक्टरी साम्राज्यवादियों को सिखों और गोरखों की भर्ती करने दी है। उसने वियतनाम के जनवादी जनतन्त्र के खिलाफ लड़ने जाने वाले फ्रांसीसी विमानों को अपने हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने दिया है। भारतीय नौसेना ब्रिटिश नौसेना के अंग की तरह काम करती है और ब्रिटिश सेनापतित्व में है। सैनिक कौशल और सरकार के रक्षा विभाग की कुन्जी भी अभी तक ब्रिटिश सलाहकारों के हाथ में है। अगर किसी देश की सशस्त्र शक्तियों की स्वतन्त्रता उसकी स्वाधीनता और सार्वभौमता का चिन्ह है तो हमारी स्वतंत्रता का मुख्य अंश अभी भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हाथों में है।

जनता में फूट डालने का प्रयत्न

१३- अपनी हुकूमत को नई कांग्रेस सरकार के ताज से ढकने से पहले ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने देश को हिन्दू मुस्लिम दगों और कत्लेआम में डुबोया और उसके बाद देश को भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़ों में बांट दिया। इस तरह साम्राज्यवादियों मे भारत की अर्थव्यवस्था को खेतो की दृष्टि से कमज़ोर बना दिया और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को उद्योग की दृष्टि से कमज़ोर बनाया। इस तरह उसने इन दोनों देशों को एक दूसरे के बिलकुल खिलाफ़ खड़ा किया, दोनों देशों में अघोषित युद्ध की स्थिति

पैदा कर दी और दोनों देशों को साम्राज्यवादियों की 'तटस्थ तीसरी शक्ति' का आश्रित बना दिया।

देश के बंटवारे के कारण कांग्रेस सरकार जनता की वाजिब मांगों को हिन्दू-मुस्लिम युद्ध के उन्माद में डुबो सकी। इसकी वजह से सरकार वह पैसा जो जनता की हालत सुधारने में खर्च किया जा सकता था हथियारों पर खर्च कर सकी। इसकी वजह से वे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से हथियार खरीद सके। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इससे ज्यादा और क्या चाहते कि स्टर्लिंग के ऋण के बदले वे भारत और पाकिस्तान के हाथ पुराने माल आदि बेच सकें और जनता को मशीनें और ज़रुरी सामान न मिलने पाये।

१४, देश के बंटवारे और साम्प्रदायिक क़लह के नामपर विभित्र जातियों की अपने स्वतंत्र विकास की मांग को भुला देने का प्रयत्न किया गया उनकी मांग थी कि पुराने मिले जुले ब्रिटिश प्रान्तों और देशी राज्यों के स्थान पर संयुक्त भारत में भाषा के आधार पर स्वायत्ता का निर्माण किया जाये। एक संयुक्त देश के नाम पर एक प्रान्त की भाषा अर्थात् हिन्दी सभी जातीयों और राज्यों के लिये एक अनिवार्य भाषा घोषित की गई। यह बात प्रान्तों की अपनी जातीय भाषाओं के अहित में थी एक जाति के बहुत बड़े क्षेत्रों और करोड़ों लोगों को अधिकांश दूसरी जाति के नौकरशाहों और औल्डिन के प्रभाव की सरकार के शासन में रहने पर मजबूर किया जाता है। बड़े बड़े आदिवासी इलाकों को जिनकी अपनी अर्थव्यवस्था और संस्कृति है, दूसरे इलाकों के जमींदारों और पूँजी के घड़ीयालों की दया पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह आम जनता की एक संयुक्त देश की इच्छा को इर तरह इस्तेमाल किया जाता है जिससे असल में देश की जनता में फूट और द्वेष के बीज पड़ते है।

नया विधान और जनता की स्वतन्त्रता

१५- अन्त में आपको यह दिखाने के लिए कि वह वजह जनता की सरकार है विधान सभाओं में व्यर्थ के वितण्डे पर देश का करोड़ों रुपया खर्च कर सरकार ने विधान तैयार किया है जिसे वे जनतत्रंवादी विधान घोषित करते है। वे कहते है कि विघान की शर्तों के अनुसार जनता अपने मन की सरकार चुने और विधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारो को प्राप्त कर। इस तरह जनता से कहा जाता है कि अगर वह चाहे तो वर्तमान स्वेच्छाचारी शासन को खत्म कर सकती है भारत आौर भारत के स्वाधीन प्रजातंत्र के विधान द्वारा अपनी स्वतन्त्रता हासिल कर सकती है।

१६- यह सत्य है कि अब भारत विधान में व्यापक बालिग मताधिकार है और जनता इसे इस्तेमाल कर सकती है और करेगी। लेकिन यह कहना तो धोखा देना होगा कि सिर्फ इस विधान के अन्तर्गत चुनावों से देश से ज़मींदार पूँजीपति शासन खत्म

किया जा सकता है और देश के जीवन को साम्राज्यवादी कब्जे से मुक्त किया जा सकता है। बालिग मताधिकार मज़दूर वर्ग और जनता की परिपक्वता को नापने का एक साधन है। यह जनतन्त्र का एक बाहरी अंग है। लेकिन जब तक ज़मीन किसानों की सम्पत्ति न होकर ज़मींदारों के कब्जे में रहती है, जब तक ज़मींदार और पूँजींपतियों कि ताकत खेतों और कारखानों में जनता को गुलाम बनाये रखती है, जब तक पूँजी प्रेसों और प्रचार के दूसरे साधनों पर अधिकार करके जनता को झूठे प्रचार का नशा पिलाती रहती है, जब तक रुपये की शक्ति जनता मे फूट डालने और उसे कमजोर करने के लिये धर्म और जाति के विरोध और होड़ को इस्तेमाल करती रहती है, जब तक नौकरशाह और पुलिस राजनीतिक दलों पर रोक लगाते रहते है, नागरिक स्वतंत्रता का दमन करते रहते है और विधान सभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी उनके राजनीतिक मत और ईकानदारी के काम के लिए गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रख सकते है, तब तक चुनाव शोषित जनता की सच्ची इच्छा और सच्चे हितों को प्रकट नहीं कर सकते।

नये विधान के अन्दर आजादी की बात जनता को धोखा देना

१७- जनता से यह कहना कि नये विधान के अन्तर्गत वह या उसके द्वारा चुनी हुई सरकार उसकी आजादी और सुख का रास्ता निकाल सकती है, धोखा देना होगा। विधान जनता के लिए किसी ऐसे अधिकार की गारन्टी नहीं करता जिसे किसी तरह मनवाया जा सके। कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जिसे नौकरशाही, जो अपरिवर्तनीय और अपराजेय बना दी गई है, सकंट कालीन स्वेच्छाचारी आदेशों से रद्द न कर सके। मज़दूर वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए हड़ताल, जिन्दा रहने लायक मज़दूरी, काम और आराम के हक की गारन्टी नहीं है और न उसे मनवाया ही जा सकता है। ज़मींदारों की ज़मीन और गद्दी से उतारे गये या गद्दियों पर बिठाये गये देशी राजाओं की सम्पत्ति और आमदनी पर हाथ नही लगाया जा सकता। ऐसा है कि किसान को ज़मीनें तभी मिल सकती है जब वह उसे खरीदे या ज़मीदार को उसका मुआवज़ा दे। लेकिन ज़मीन खरीदने या मुआवज़ा देने के लिये पूँजी की ज़रुरत है। और करोड़ों गरीब किसानों के पास जिन्हें खाने को भी पूरा नहीं पड़ता पूँजी कहां से आये। इसके माने है कि गरीब किसान बिना खेत का ही रह जाएगा और गरीबी में ही अपनी जिन्दगी बिताता रहेगा। यह एक खास बात है कि अंग्रेज़ों और अमरीकियों के साथ कई संधियां करके सरकार ने हमारे देश में विदेशी मालिकों का सम्पत्ति को पवित्र, अनुलंधनीय बना दिया है। उनको इस तरह की गारंटियां दी गई है कि उनके मुनाफों पर भी हाथ नहीं लगाया जाएगा और वे जिस तरह चाहें अपने मुनाफे को देश के बाहर ले जा सकेंगे। और यह

तब तक जब दूसरी तरफ सरकार ने जनता को पुलिस के डंडे राज से और महाजनों और मुनाफाखोरो की लुट से रक्षा करने की किसी भी तरह की गारन्टी देने से इन्कार कर दिया है।

इस तरह, जबकि इस विधान के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था, ज़मीन और पूँजीपती, जमींदारों, देशी राजाओं और साम्राज्यवादियों के शिकंजे की गांरटी दी गयी है। आम जनता की ज़िंदगी और आजादी की एक बात की भी गारंटी नहीं दी गयी है। उसके बारे में भ्रमात्मक कामनाएँ प्रकट करने से आगे नहीं बढ़ा जा गया है यह विधान सच्चा जनतान्त्रिक विधान नही है और न इसे ऐसा कहा जा सकता है यह ज़मीदार पूँजीपति राज्य का विधान है जो विदेशी साम्राज्यवादी स्वार्थो-मुख्यत: ब्रिटिश- के साथ बँधा है।

कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया

१८- यह बिलकुल स्वाभाविक है कि इस दारुण दशा को देखते हुए जिसका वर्णन किया गया है और जिससे जनता को गरीबी और अराजकता में ढकेल दिया गया है, आम जनता ने वर्त्तमान सरकार के प्रत्ति अपना विश्वास खो दिया है। इसके प्रति उनका अविश्वास और ज्यादा गहरा होता जा रहा है और उन्होने इस सरकार को अपना शत्रु समझना शुरु कर दिया है, जो जनता के खिलाफ ज़मींदारों, महाजनों और दूसरे शोषकों की रक्षा कर रही है। और भी, वर्त्तमान सरकार के अमानवीय शासन के खिलाफ कई प्रान्तों में आम जनता अपने असन्तोष और विद्रोह को खुलकर प्रगट कर रही है। वे इस सरकार के स्थान पर नई जनता की सरकार की स्थापना के लिए रास्ता ढूँढ रहे है, जो जनता की इच्छाओं और हितों को प्रगट कर सके, ज़मींदारों, पूँजीपतियों, मुनाफा खोरों, महाजनों और विदेशी साम्राज्यवादियों के अत्याचारों से उनकी रक्षा कर सके।

कम्युनिस्ट पार्टी जनता की मदद के लिए

१९- इन बातों को देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपना कर्त्तव्य समझती है कि वह जनता की मदद के लिए आगे आये और अपना वयाहारिक कार्यक्रम सामने रखे। श्रमजीवी वर्ग अगर उस गतिरोध में से निकलना चाहता है जिसमें सरकार ने उसे डाल रखा है, अगर वह अपनी आजादी और सुख चाहता है तो उसे इस कार्यक्रम को कार्यरुप में परिणत करना होगा जिसे कम्युनिस्ट पार्टी उपस्थित करती है।

हमारे विकास का इस समय जो स्तर है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी यह मांग नहीं करती कि हमारे देश में समाजवाद की स्थापना की जाय। आर्थिक विकास पिछड़े होने

के कारण और मजदूरों और मेहनती बुद्धिजीवीयों के संघटन की कमजोरियों के कारण हमारी पार्टी सम्भव नहीं समझती कि आज हमारे देश में समाजवादी रुपांतर किया जा सकता है। लेकिन हमारी पार्टी यह देखती है कि वर्तमान जनतन्त्र विरोधी और जन-विरोधी सरकार के स्थान पर जनवादी जनतन्त्र की एक नयी सरकार स्थापित करने के लिए स्थिति बिलकुल परिपक्व हो गया है। यह सरकार देश की सभी जानतान्त्रिक सामन्त-विरोधी, साम्राज्य विरोधी शक्तियों के संयुक्त सगठंन के आधार पर बनेगी। यह ऐसी सरकार होगी जो जनता के अधिकारों कि प्रभावपूर्ण ढंग से गांरटी दे सके, किसानों को मुफ्त ज़मीन दे सके, विदेशी माल की प्रतियोगिता से हमारे राष्ट्रीय उधोगों की रक्षा कर सके, देश के ओधोगीकरण को निश्चित करा सके, मजदूर वर्ग के जीवन के स्तर को ऊँचा उठा सके, जनता को बेकारी से बचा सके और इस तरह देश को उन्नति, साँस्कृतिक प्रगति और स्वतन्त्रता के प्रशस्त मार्ग पर खड़ा कर सके।

वे कौन से असल कार्य है जिसका नयी जनवादी सरकार द्वारा किया जाना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जरुरी समझती है?

वे काम ये है:-

राज्य के स्वरुप के सम्बन्ध में

२०- जनता कि प्रभुता अर्थात् देश की सारी शक्ति जनता के हाथों में केंद्रित हो। राज्य में सर्वोच्च सत्ता पूर्णरुप से जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में रहेगी जो जनता द्वारा चुने जायंगे और जिन्हें मतदाताओं का बहुमत जब चाहेगा वापस बुला सकेगा। इन प्रतिनिधियों की सिर्फ एक जनप्रिय परिषद होगी, केवल एक विधान सभा होगी।

२१- जनता के राष्ट्रपति के अधिकार में कमी, जिनके द्वारा वह और उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी कोई ऐसा कानून जारी न कर सकेंगे जिसे विधान सभा ने नामंजूर कर लिया है। राष्ट्रपति विधान सभा द्वारा चुना जायेगा।

२२- विधान सभा और स्थानीय शासन की सभी संस्थानों के सभी चुनावों में १८ वर्ष से ऊपर के नागरिकों को व्यापक, समान और प्रत्यक्ष मताधिकार, गुप्तमतदान, प्रतिनिधि संस्थानों के चुनाव में हर एक मतदाता को खड़े हो सकने का अधिकार, जनता के प्रतिनिधियों को तनखाह, सभी चुनावों में राजनीतिक पार्टियों का अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व।

२३- व्यापक आधार पर और जनता की कमेंटियों के जरिये व्यापक अधिकारों के साथ स्थानीय सरकारें। ऊपर से नियुक्त सभी स्थानीय और प्रान्तीय अधिकारियों (जैसे गर्वनर, मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर) को तोड़ देना।

२४- व्यक्ति के शरीर और निवास की अनुल्लंघनीयता, विश्वास, भाषण, प्रेस, सभा हड़ताल और सघंटन करने की और घूमने फिरने या बसने की निर्वाध स्वतन्त्रता।

२५- धर्म, जाति, स्त्री-पुरुष या जातियता के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार। स्त्री-पुरुष का भेदभाव किये बिना समान काम के लिए समान मज़दूरी।

२६- सभी जातियों लिए आत्मनिर्माण का अधिकार। भारतीय जनतन्त्र भारत की विभित्र जातियों की जनता को बलपूर्वक नहीं वरन् स्वेच्छा पूर्वक दी गई राय के अनुसार समान राज्य की स्थापना के लिए संयुक्त करेगा।

२७- वर्त्तमान नकली प्रान्तों और देशी राज्यों को तोड़ कर समान भाषा के सिद्धान्त के आधार पर नये जातीय प्रान्तों का निर्माण। आदिवासी क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में जहाँ खास ढंग के लोग रहते हैं और उनकी विशिष्ट सामाजिक स्थिति हैं या जो अलामत जातीयता के हैं उन्हें पूर्ण क्षेत्रीय स्वायत्त अधिकार और उनकी सरकार।

२८- उद्योग, कृषि और व्यापर पर क्रमश: बढ़ता हुआ टैक्स, मजदूरों, किसानों और कारीगरों को टैक्सों में अधिक से अधिक सुविधा।

२९- जनता की अदालत के सामने हर एक आदमी को सरकारी अधिकारी पर मुकदमा चलने का अधिकार।

३०- सभी धार्मिक संस्थाओं से राज्य का पृथक रहना। राज्य लौकिक राज्य रहे।

३१- १८ वर्ष की अवस्था तक लड़कों और लड़कियों की मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा।

३२- पुलिस को हटा कर जनता के रक्षादल की स्थापना। किराये की फौज और दूसरी दमनकारी सेनाओं को खत्म कर भारत की रक्षा के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय सेना, नौसेना और विमान सेना का निर्माण जो जनता से निकट रूप से सम्बन्धित हो।

३३- जन स्वास्थय सेवा की स्थापना। देश भर में इसके केन्द्रों और अस्पतालों का जल फैला रहे जिसमें देश को हैजे, मलेरिया और दूसरी महामारियाँ से मुक्ति दिलायी जा सके।

कृषि और किसानों की समस्या के सम्बन्ध में

कृषि और किसानों की समस्या हमारे देश के जीवन की प्रथम महत्व की समस्या हैं। हम कृषि का काफी ज्यादा विकास नहीं कर सकते और अपने देश को खाना और कच्चा माल नहीं दे सकते क्योंकि गरीबी का शिकार किसान जिसकी जमींन छीन ली

गयी है खेती के मामूली साधनों को भी खरीद नहीं पाता और इस तरह अपनी खेती को सुधार नहीं पाता।

हम अपने राष्ट्रीय उद्योगों का विकास नहीं कर पाते और देश का काफी औद्यौगीकरण नहीं कर पाते क्योंकि गरीबी के शिकार किसान जो जनसँख्या का ६० प्रतिशत हैं कारखानों में तैयार होने वाले कम से कम माल को भी खरीद नहीं पाता।

हम अपने राज्य को किसी भी हद तक स्थिर नहीं बना पाते क्योंकि किसान जो अर्ध-भुखमरी की हालत में रह रहे हैं सरकार से कोई सहायता नहीं पाते। वे उससे घृणा करते हैं और उसे समर्थन देने से इनकार करते हैं।

हम मज़दूर वर्ग की हालत को अधिक मात्रा में सुधार नहीं पाते। लाखों भूखे लोग गरीबी से मजबूर होकर देहात छोडक़र शहरों में मजदूरों के बाजार में भीड़ लगाते है, 'मजदूरी का दाम' गिराते हैं, बेकारों की फौज बढ़ाते हैं और इस तरह मजदूरों के जीवनस्तर में सुधार करना असंभव बना देते हैं।

सांस्कृतिक पिछड़ेपन से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि किसान जनसंख्या में जिनका अत्यधिक बहुमत है अपने बच्चों को शिक्षा दे सकने के लिए आवश्यक भौतिक साधनों से वंचित है।

इन सभी बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए और अपने देश को सांस्कृतिक पिछड़ेपन से निकलने के लिए जरुरी है की किसानों के जीवन के लिए मानवीय स्थिति ले जाये, जमींन जमींदारों से लेकर किसानों को दी जाए।

यह हासिल करने के लिए जरुरी है :-

३४- बिना कीमत जमींदार की जमींन किसानों को दी जाए और एक ख़ास कानून बनाकर इस भूमि सुधार को क़ानूनी बनाया जाए।

३५- खेती के औजार और जरुरी बीज खरीदने के लिए किसानों को लम्बी मियाद और सस्ते सूद पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था की जाए। कच्चा माल खरीदने और माल की तैयारी और रोजगार के लिए छोटे कारीगरों की लम्बी मियाद और सस्ते दामों पर कर्ज दिलवाया जाए।

३६- पुरानी नहरों और सिचाईं के साधनों की मरम्मत और नई नहरों के निर्माण के लिए किसानों को सरकारी सहायता देने की व्यवस्था की जाये।

३७- किसानों और छोटे कारीगरों पर महाजनों के कर्जे रद्द किये जाये।

३८- खेत मजदूरों के लिए काफी मजदूरी और जीवन की रहन सहन की उचित व्यवस्था करायी जाए।

उद्योग और मजदूर समस्या के सम्बन्ध में

हमरे उद्योग सिर्फ इसी बात के शिकार नहीं हैं कि किसानों की खरीदने की शक्ति बहुत ही कम है। उनकी एक और मुसीबत यह भी है की देश की अंदर उन्हें विदेशी माल से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। ढेर लगा देने की नीति पर चल कर दूसरे देश बाजारों को सस्ते माल से पाट देते हैं। लेकिन इसमें कारखानेदारों को सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती और विदेशी प्रतियोगिता के मुकाबले उन्हें जो नुकसान होता है उसे वे मजदूरों पर दबाव चढ़ा कर और उनकी ज़िन्दगी और बदतर बना कर पूरा करते हैं। लेकिन अगर मजदूरों की हालत गिरेगी तो उद्योग पनप नहीं सकते क्योंकि भूखे और मोहताज मजदूर आधुनिक उद्योग के विकास के साधन नहीं बन सकते। हमारे देश में उद्योगों के नाकाफी विकास का यह एक और कारण है। इस खतरनाक व्यूह को तोड़ने के लिए यह जरूरी है की विदेशी प्रतियोगिता से अपने राष्ट्रीय उद्योगों की रक्षा की जाए, देश का व्यापक और जोरों के साथ औद्योगीकरण शुरू किया जाय और मजदुर वर्ग की हालत सुधारी जाय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समझती है कि इसे हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि:-

४०- उपयुक्त कानून बनाकर देश में विदेशी माल की प्रतियोगिता से देशी उद्योगों की रक्षा की जाय।

४१- राष्ट्रीय उद्योगों का विकास किया जाय और देश का औद्योगीकरण करने के लिए परिस्थिति तैयार की जाए। इसे हासिल करने के लिए राज्य का कोई प्रयत्न या साधन बाकी न रखा जाए।

४२- मजदूरों के रहन सहन और काम करने की हालतों में भारी परिवर्तन किया जाय। जीने लायक मजदूरी निश्चित की जाय। सभी उद्योगों और व्यवसायों में ८ घंटें का दिन और ४४ घंटे का हफ्ता लागू किया जाए। खानों के अंदर और स्वास्थ को नुकसान पहुँचाने वाले दूसरे काम में ६ घंटे का दिन माना जाए। हर प्रकार अक्षमता और बेकारी के लिए राज्य और पूंजीपतियों के खर्च पर सामाजिक बीमा हो। ट्रेड यूनियनों के संपर्क से श्रम एक्सचेंज कायम किये जायं। औधोगिक अदालते स्थापित की जाय। ट्रेड यूनियनों को मान्यता दी जाय और सामूहिक सौदे के हक माना जाय।

४३- आम जनता के उपयोग के सामानों के दामों पर बाअसर नियंत्रण लागु किया जाय।

४४- शरणार्थी जनता की समस्या खास कर, अपनी धरती से उखड़े हुए करोड़ों मजदूरों, किसानों, कारीगरों, मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोगों आदि की समस्या उनकी अत्यंत शीघ्र पुनर्वास व्यवस्था कर हल की जानी चाहिऐ; उन्हें ज़मींन, मेहनत करने के

औज़ार और अपनी ज़िन्दगी को अपने राष्ट्रीय ढंग से विकसित करने की सुविधायें दी जानी चाहिए।

भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता

इस बात का बहुत ज्यादा ढोल पीटने के बावजूद कि अंग्रेज़ देश छोड़ कर चले गये, असल बात यह है कि बहुत बड़ी सख्या में भारत के कारखाने, मिल, खाने, बागान, जहाजरानी और बैंक अब भी अंग्रेज़ पूंजीपतियों के अधिकार में है जो इनसे हर साल करोड़ों रूपया मुनाफा कमाते हैं। हमारी आर्थिक जिंदगी पर इस तरह हावी होकर और हमारे देश पूंजीपतियों से गठबंधन करके जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी हमारी ग़रीबी को कायम रख रहे हैं।

जब तक व्यापक रूप से हमारा औधोगीकरण नहीं हो जाता, हम शक्तिशाली और समृद्ध देश नहीं बन सकते। लेकिन जब तक ब्रिटिश पूंजी देश में रहती है हमारा इतना औद्योगीकरण हो नहीं सकता। क्योंकि ब्रिटिश व्यवसायों के मुनाफे देश के बाहर चले जाते है और औधोगीक विकास में हक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह तब तक संभव न होगा जब तक बड़े देशी पूंजीपति जो विदेशियों से मिले है, हमें साम्राज्य से बांधे रखे रहेंगे। फिर भी, अनेक ब्रिटिश सलाहकारों का भी हमें ध्यान रखना हैं जिनसे हमारी सेना, नौसेना, पुलिस और दमन के दूसरे साधन भरें पड़े हैं।

सच्चा स्वतन्त्र राज्य बनने के लिए भारत को साम्राज्य से संबन्ध तोड़ देना होगा, देश की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश पूंजी के अधिपत्य को खत्म कर देना होगा और ब्रिटिश सलाहकारों से मुक्ति लेनी होगी।

इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यह जरुरी समझती है-

४५- ब्रिटिश कॉमन वेल्थ और ब्रिटिश साम्राज्य से भारत बाहर निकल आये।

४६- भारत अंग्रेजों के कारखानों, बैंकों, बाग़ानों, जहाज़रानी, और खानों और चाहे वे साफ उनके नाम में हो या भारतीय कंपनी के साइनबोर्ड की आड़ में हो, जब्त किया जाय। और उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय।

४७- भारत में सलाहकार के पदों से अंग्रेजों को हटाया जाय।

भारत की परराष्ट्र नीति के कार्य

भारत शक्ति और शांति पूर्ण विकास चाहता है। अभी देशों से शांति और आर्थिक सहयोग का वह इक्छुक है। इसमें ब्रिटेन को भी अपवाद नही किया गया है यदि वह बराबरी के आधार पर भारत के साथ आर्थिक सहयोग कर सके। शांति और युद्ध के

बीच में, शांति समर्थकों और आक्रमणकारी युद्ध के प्रचारकों के बीच वर्तमान भारत सरकार जो झूठे खेल खेल रही है, भारत की उसमें दिसचस्पी नहीं है।

शांति का मुख्य शत्रु और हमलावर युद्ध का प्रचारक आज अमरीका है। उसने अपने चारों तरफ सभी आक्रमणकारी देशों को इकट्ठा किया है, युद्ध के इस खेमे के मुकाबले का शांति का एक शिविर है, इस शिविर में सोवियत यूनियन, चीनी जनता का जनतंत्र तथा दूसरे जनवादी जनतंत्र के देश हैं। भारत सरकार, बजाय इसके कि आक्रमणकारियों के खिलाफ शांति के समर्थकों से हाथ मिलाये और अमेरिका को प्रमुख अक्रमणकारी घोषित करे, दोनों शिविरों के बीच झूठे खेल रही है। वह अमेरिका के साथ हेलमेल करती है और इस तरह शांति प्रिय देशों के खिलाफ हमलवारों के संघर्ष को सहायता पहुंचाती है। भारत को शांति और युद्ध के बीच खेल खेलने की जरुरत नहीं है, बल्कि उसे शांति प्रिय देशों के साथ सयुंक्त मोर्चे और दोस्ती की जरूरत है।

भारतीय जनता की उस झगड़े-झंझट में दिलचस्प नहीं है जो भारत और पाकिस्तान में चल रहा है और जिसे रोकने के लिए भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है।

भारत के बटवारे से भारत की अखंड आर्थिक व्यवस्था अवव्यवस्थित हो गयी है। भारत और पाकिस्तान के झगड़े से प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग को जनता में फूट डालने का मौका मिलता है। भारत और पाकिस्तान की मित्रता और एक दूसरे की मदद के सम्बन्ध से ही इन कमजोरियों पर काबू पाया जा सकता है। इस मित्रता की संधि में लंका को भी शामिल होना चाहिए।

लंका की अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर हैं और उसकी पूरक है। उसकी जनसँख्या का एक बड़ा हिस्सा भारतीय (मुख्यत: तामिल) बागान और दूसरे मजदूरों का हैं जो लंका में बस गये हैं। सिहंली और भारतीय जमींदार और व्यापारी अपने संकुचित स्वार्थो के लिए भारतीय और सिहंलि मजदूरों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। दोनों देशों के बीच मित्रता के सम्बन्ध के आभाव के कारण साम्राज्यवादी और उनके गुर्गे इन राज्यों के बीच मनमुटाव और दोनों देशों की जनता के बीच घृणा के बीज बोते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि, लाखों लोग अपने घरों से निकाले जाते हैं। पक्की मित्रता के सम्बन्ध ही साम्राज्यवादियों और इन देशों की प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों की चालों को बेकार कर सकते हैं।

इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी जरुरी समझती है कि इन बातों की गारंटी दी जाय :-

४८- सभी शांति प्रिय राज्यों के साथ शांति की ईमानदार और सुसंगत नीति का पालन किया जाय और उनसे मिलकर आक्रमणकारियों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाया जाय।

४९- उन सभी राष्ट्रों के प्रति आर्थिक सहयोग की नीति बरती जाए जो बराबरी के आधार पर बिना किसी भी प्रकार के भेद भाव के आर्थिक सहयोग कर सकें।

५०- पाकिस्तान और लंका के सम्बन्ध और मित्रता की नीति।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस कार्यक्रम को जनता के सामने रखती है जिससे उद्देश्य का स्पष्ट चित्र आ जाय जिसके लिय वह लड़ रहे हैं ।

हमारी पार्टी करोड़ों श्रमजीवियों, मजदूरवर्ग, किसानों, श्रमजीवी, बुद्धिजीवियों, मध्यमवर्ग और साथ साथ राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग का, जिन्हें देश की स्वतंत्रता और समृद्ध जीवन के विकास का ध्यान है, आह्वान करती है कि वे एक सयुंक्त मोर्चे में संगठित हों जिसमें देश की पूर्ण आज़ादी हासिल की जा सके, सामंतों के अत्याचार से किसानों को मुक्त किया जा सके, मजदूर वर्ग के जीवन को सुधरा जा सके, कृषि और अपने राष्ट्रीय उद्योगो के विकास में एक बड़ा कदम उठाया जा सके और देश की सांस्कृतिक प्रगति सुरक्षित की जा सके।

भारतीय मजदूर वर्ग और मार्क्स-ऐंगिल्स-लेनिन और स्टालिन की शिक्षाओं से युक्त उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, तथा देश के करोड़ों किसानों से दृढ़ मित्रता में आबद्ध भारतीय जनता इस कार्यक्रम को पूरा करेगी। मार्क्सवादी दर्शन के सिद्धांतों और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने करीब आधी मानवता को समाजवाद, स्वतंत्रता और सच्चे जनतन्त्र तक पहुँचाया है। इस आधी मानवता के सबसे आगे सोवियत यूनियन है। महान चीनी जनता के जनतंत्र के नेतृत्व में एशिया की जनता इस समय अपने को साम्राज्यवाद से मुक्त करने के लिय संघर्ष कर रही है। एशिया में भारत वह अंतिम सबसे बड़ा पराधीन अर्ध उपनिवेशी देश है जिसे गुलाम बनाने वाले लूट और चूस रहे है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का विश्वास है कि भारत भी एक विजयी एक जनवादी देश की तरह शीघ्र ही दुनिया के महान देशों में अपना स्थान ग्रहण करेगा और शांति समृद्धि और सुख के मार्ग पर चलेगा।

२- कॉम्युनिस्ट पार्टी कि नीति

पिछले चार साल के अनुभव ने हमारे देश के लोगों को यह सिखा दिया है कि मौजूदा सरकार और मौजूदा व्यवस्था उनके जीवन की मुख्य समस्याओं को हल नहीं कर सकती; वह उनको न जमींन और रोटी दे सकती है, न काम और न तनख्वाह तथा न शांति और आज़ादी। वे मौजूदा सरकार को- जो की खासतौर से सामंती जमींदारों, बड़े एकाधिकारी महाजनों और इन सब के पीछे छिपे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के निहित स्वार्थो की रक्षा करती है- बदलने की आवश्यकता को समझते जा रहे है।

इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने एक कार्य-क्रम मंजूर किया है जिसमें उनसे कहा है कि वह "मौजूदा जनतंत्र-विरोधी और जन-विरोधी सरकार के स्थान पर जनता के जनतंत्र की एक नई सरकार की स्थापना के काम को बिलकुल परिपक्व समझती है।”

ऐसी सरकार कौन बनाएगा? कार्य-क्रर्म में कहा गया है कि यह सरकार "देश की समस्त जनवादी, सामंत-विरोधी और साम्राज्य-विरोधी शक्तियों के सम्मिलित आधार पर" बनायीं जाएगी।

और, यह सरकार तथा जो शक्तियां इसे बनाये उन्हें इस योग्य अवश्य होना चाहिए कि वे "जनता के अधिकारों की बाअसर ढंग से गारंटी दे सके, किसानों को मुक्त जमींन दें, विदेशी माल की प्रतियोगिता से राष्ट्रीय उद्योगों की रक्षा करें और देश का औद्योगीकरण कराये, मजदूर वर्ग को रहन- सहन का ऊँचा स्तर प्रदान करें और जनता को बेकरी से मुक्ति दिलाएं और इस तरीके से देश को प्रगति, सांस्कृतिक उन्नति और आज़ादी के प्रशस्त पथ पर ले जाएँ।”

इस तरह इस कार्यक्रम ने उन व्यवाहरिक कामों को बताया है जो जनता की जनवादी सरकार को करने होंगे।

तात्कालिक मुख्य उद्देश्य की व्याख्या करने के बाद यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी प्राप्ति कैसे, किन तरीकों से और किन शक्तियों से होगी?

हमारी पुरानी नीतियां

लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो समझती है कि नए विधान के द्वारा बनाये जाने वाली पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके मौजूदा सरकार को हटाकर जनता की जनवादी सरकार बनाई जा सकती है। ऐसी भावनाओं को न महज यह सरकार और निहित स्वार्थी वर्ग ही बल्कि दक्षिण-पंथी समाजवादी भी प्रोत्साहन और बढ़ावा देते हैं। वे यह प्रचार करते हैं कि पार्लियामेंट में एक मजबूत विरोधी-दल का अस्तित्व ही इस सरकार को हिला देगा और इसे गिरा देगा।

लेकिन मौजूदा विधान की, जिसे जनता ने अपने पुराने साम्राज्य- विरोधी संघर्षों का फल समझा था, उपयोगिता में जनता के विश्वास को अभी ज्यादा दिन नहीं होने पाये थे कि उसे विधान में से बुनियादी अधिकारों और गारंटियों के मायाजाल को भी निकाल दिया गया है और व्यक्ति की आज़ादी, प्रेस, भाषण, और सभा की आज़ादी को, - जिनको जनता इस सरकार को हिला देने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी- पुलिस के डंडों और नौकरशाहों के शासन के हवाले कर दिया है।

कम्युनिस्ट पार्टी और जनवादियों तथा क्रांतिकारियों की तो बात ही क्या। अब तो कट्टर से कट्टर उदारवादी भी यह कहने में शरमाएंगें कि यह सरकार और इसकी सत्ता बानाये रखने वाले वर्ग, कभी भी केवल धारा- सभाई तरीकों से देश में मौलिक जनतांत्रिक परिवर्तन लाने देंगे।

इसीलिए हमें अपनी आज़ादी व शांति, जमींन और रोटी हासिल करने का रास्ता; जैसा की पार्टी के कार्यक्रम में बतलाया गया है, कहीं और खोजना होगा।

इतिहास, जिसे मार्क्स, एंगिल्स, लेनिन और स्टालिन ने हमारे सामने रोशन किया है, अपने विशाल अनुभव को हमारे सामने रखता है; उस अनुभव को जो उन संघर्षों से पैदा हुआ जिन्होंने लगभग आदि मानवता को समाजवाद, आज़ादी और सच्चे जनवाद तक पहुँचाया, जिसका नेतृत्व सोवियत यूनियन कर रहा है और जिसमें महान चीनी जनतंत्र और जनता के जनतंत्र सम्मिलित हैं।

इस प्रकार हमारा मुख्य रास्ता पहले से ही हमारे लिए बना हुआ है। फिर भी हर एक देश को अपना विशेष रास्ता तलाश करना पड़ता है। फिर हमारी राह कौनसी होगी?

हिंदुस्तान में पिछले ३० साल से समूहों अथवा एक संयुक्त पार्टी की शक्ल में कम्युनिस्ट जनता में काम कर रहें हैं।

-इन वर्षों में उन्होंने मजदूर वर्ग का एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया, उसकी लड़ाईयाँ लड़ी और मांगे जीतीं।

उन्होंने एक किसान आंदोलन का निर्माण किया और विशाल इलाकों में, मिसाल के लिए तेलंगाना में, किसनों को जिनके पास ज़मीन नहीं थी, ज़मीन दिलवाई और बेगार से मुक्त करके आज़ादी दिलाई।

- उन्होंने जनता के अधिकारों के लिय संघर्ष किये है जिनमें सैकड़ों -हज़ारों मारे गए, फाँसी चढ़े, कैद हुए, यातनाओं के शिकार हुए या बरबाद हो गए।

स्वभावत:, मेहनतकश जनता का नेतृत्व करते हुए, अपने इतिहास की नाजुक घड़ियों में, अनेक बार हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता रहा है कि हम किस रास्ते

पर चलें और कौनसी कार्यनीति देश और जनता के हित - साधन के लिए सबसे कारगर है?

यहाँ हम यह बतलाने नहीं जा रहें हैं की, इस पुरे ज़माने में हमने कोनसा रास्ता अख्तियार किया, बल्कि हम सिर्फ हाल में अपनाये गए कुछ रास्तों का ही जिक्र करेंगे ताकि हमारे सामने यह स्पष्ट हो जाये की भविष्य में अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए हमें कौनसे रस्ते पर चलना होगा।

हमारी दूसरी पार्टी कांग्रेस ने पुराने नेतृत्व की सुधारवादी नीति को अस्वीकार कर दिया था जो संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे के निर्माण के नाम पर मजदूरों, किसानों जनता के अन्य हिस्सों को संघर्षों से हटा रही थी। दूसरी पार्टी कांग्रेस के बाद पार्टी के अंदर इस प्रशन पर भारतीय क्रांति आंदोलन का क्या रास्ता हो, मतभेद और वाद-विवाद पैदा हो गए।

- कुछ समय तक यह प्रतिपादित किया गया की रूस की तरह औद्योगिक मजदूरों की आम हड़ताल और उसके पीछे आने वाला देशव्यापी विद्रोह हमारे संघर्ष का मुख्य साधन रहेगा।

- बाद में चीनी क्रांति की गलत समझ के आधार पर यह सिद्धांत पेश किया गया कि चूँकि हमारा देश चीन की तरह एक अर्ध- उपनिवेश है, इसलिए हमारी क्रांति चीन के रास्ते पर ही आगे बढ़ेगी और किसानों का हथियारबंद युद्ध मुख्य अस्त्र होगा।

जिन कामरेडों ने विभिन्न अवसरों पर इनमे से एक या दूसरे विचार को सही माना उनमें, देश की परिस्थिती के मूल्यांकन, मौजूदा सरकार की जनता से अल-हदगी की गहराई तथा अन्य बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नो पर आपस में मतभेद थे यह बात ज़ाहिर थी की, पार्टी जनता को विजय की ओर ले जा सके, इसके लिए इन मतभेदों को हल करना ही होगा।

कई महीनो की लम्बी बहस के बाद अब पार्टी देश की आज़ादी और जनता की खुशहाली प्राप्त करने के सही रस्ते को नयी समझ पर पहुंच गयीं है। इस रास्ते को न हम रुसी कह सकते हैं और न चीनी।

यह रास्ता ऐसा होना चाहिए, और है, जो मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन की शिक्षाओं से मेल खाता हो, और इतिहास के सभी संघर्षों के - विशेषतय: रुसी और चीनी क्रांतियों के - सबक से लाभ उठाता हो; क्योंकि रुसी क्रांति एक पूंजीवादी सम्राज्यवादी देश में लेनिन - स्टालिन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में मजदूर वर्ग द्वारा की गयी दुनिया में पहली समाजवादी क्रांति थी; और चीनी क्रांति अर्ध-औपनिवेशिक आश्रित देश में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में की गयी सबसे पहली जनता की जनवादी क्रांति है जिसमें राष्ट्रीय पूंजीपतियों ने भी हिस्सा लिया।

साथ ही साथ हम यह भी याद रखें कि हर एक देश को अपनी अपनी सामाजिक विशेषतायें होती हैं जो उस देश की आज़ादी के रस्ते को निर्धारित किये बिना नहीं रह सकती हैं।

तो, हमारा रास्ता चीनी रास्ते से किन बातों में भिन्न होगा?

चीन और हिंदुस्तान - समानता और भेद

पहले तो हम यह देखें की हम में और चीन में कौनसी समानताएं है। यह समानता एक तो हमारी क्रांति के स्वरूप में है, चीन की तरह कृषि और किसान समस्या हमारे देश के जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बुनियादी तौर से हमारा देश एक औपनिवेशिक देश है जहाँ बहुसंख्यक जनता कृषि पर आश्रित है। हमारे अधिकांश मजदूरों का भी किसानों से सीधा सम्बन्ध है और वे ज़मीन की समस्यां में दिलचपी रखते हैं।

आज हमारी सच्ची आज़ादी का अर्थ है सामंती जमींदारों से जमीन लेकर किसानों को मुफ्त बाँटना। इस सामंत- विरोधी काम को पूरा कर लेने का ही मतलब होगा कि हमारे देश की सच्ची मुक्ति हो गई; क्योंकि चीन की तरह हमारे देश में भी साम्राज्यवादी स्वार्थों के मुख्य स्तम्भ सामंत है। अतः चीनी जनता की तरह हमें भी सामंतशाही और सम्राज्यशाही से लड़ना होगा। हमारी क्रांति सामंत विरोधी और सम्राज्यविरोधी है।

- इस कारण किसानों के संघर्षों का सबसे मुख्य महत्व है। इस वास्तविकता के आधार पर कि चीन का मुक्ति संग्राम मुख्यता किसानों के हथियारबंद संघर्षों के आधार पर लड़ा गया था; जिसके दौरान में किसानों ने सामंतों के हाथ से ज़मीन छीनी और मुक्ति - सेना का निर्माण किया। इस बात पर जोर दिया गया कि भारत को भी इस रास्ते पर जाना होगा और प्रायः केवल किसान वर्ग की हथियारबंद लड़ाइयों के रास्ते ही देश की मुक्ति होगी।

केंद्रीय कमेटी के विचार में चीनी क्रांति के अनुभवों की इस समझ और उससे निकाले इन परिणामों का मतलब होगा- चीनी इंकलाब की अन्य विशेषताओं को नजरअंदाज करना और अपने देश की विशेष परिस्थितियों को भूल जाना।

मिसाल के तौर पर :-

- हम इस बात को नहीं भुला सकते की चीनी पार्टी ने जब मुक्ति संग्राम में किसानों का नेतृत्व करना शुरू किया तो उसके पास एक फ़ौज मौजूद थी जो उसे १६२५ की क्रांति की फूट से विरासत में मिली थी।
- हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि, चीन में आवागमन की एकताबद्ध अच्छी प्रणाली नहीं थी जिससे दुश्मन आज़ादी की शक्तियों पर संगठित और तेजी

से हमला न कर सके। भारत और चीन में इस बात में अंतर है क्योंकि भारत में ज्यादा एकताबद्ध सुसंगठित और दूर- दूर तक फैला यातायात के साधनों का जाल है।

- हिंदुस्तान में मजदूरवर्ग उससे कई ज्यादा बड़ा है जितना स्वाधीनता संग्राम के दौर में चीन में था।
- और भी इस सचाई को भी नहीं भूल सकते कि, चीनी लाल फ़ौज जब तक मंचूरिया नहीं पहुंच गयीं तब तक उसे घेरा गया और उसको खत्म कर देने का खतरा बना रहा। वहां पहुँचने पर उसके हाथ में औद्योगिक आधार आ गया और उसके पृष्ठ में महान मित्रतापूर्ण सोवियत संघ था जिसके कारण वहां चीनी मुक्तिदायक सेना ने पीछे से हमले की सम्भावना से मुक्त होकर अपने को फिर से निर्मित किया और अंतिम जवाबी हमला कर दिया जिसने उसे विजय दिलायी।

इस सम्बन्ध में भारत की भौगोलिक स्थिति एकदम भिन्न है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि, क्रांति की मंजिल और उसके मुख्य कार्य के सिवाय भारत और चीन में कोई समानता ही नहीं। इसके विपरीत, चीन की तरह हिंदुस्तान भी लम्बा - चौड़ा देश है, चीन की तरह हिंदुस्तान में भी किसानों की बहुत बड़ी तादात हैं और इसीलिए चीनी क्रांति और भारतीय क्रांति के बहुत से पहलु समान होंगे। लेकिन सिर्फ चीनी पथ के अनुसार किसान संघर्षों से ही हिंदुस्तान में विजय नही मिल सकती।

इसके आलावा, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि, चीनी पार्टी ने किसी सिद्धांतवश नहीं बल्कि महज आवश्यकतावश केवल किसान हथियारबंद युद्ध को ग्रहण किया था। अपने लम्बें संघर्षो में पार्टी और उसके किसान इलाके मजदूर वर्ग और उसके संगठनों से ज्यादा से ज्यादा दूर होतें गये जिसका परिणाम यह हुआ कि, पार्टी और मुक्ति सेना, फैक्ट्रियों, जहाजरानी, यातायात के मजदूरों को दुश्मन के खिलाफ अपनी कार्यवाइयों में न शामिल कर सकी।

चीन में ऐसा जरूर हुआ है। लेकिन उनकी मजबूरी को हम अपने लिए अनिवार्य सिद्धांत क्यों बनावें? ऐसा करने का मतलब होगा की, अपने स्वाधीनता संग्राम में हम मजदूर वर्ग को अमली नेतृत्व और संघर्ष में नहीं ला सकेंगे।

यह दृष्टिकोण इस बात को भुला देता है कि, हमारे यहाँ एक बड़ा मजदूर वर्ग है जिसे अपना पार्ट अदा करना है और जो हमारी आज़ादी के संघर्ष में निर्णायक हो सकता है।

मजदूर- वर्ग और किसानों की शानदार दोस्ती, उनका एक होकर काम करना तथा कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसान - मजदूर संघर्षों का मिलाना और उनके संचालन में इतिहास की समस्त सीखों का उपयोग ही हमारा रास्ता होगा।

इस प्रकार हम यह देख सकते है कि, शहरों में आम हड़ताल वाली पहले की नीति किसानों के पार्ट को नज़रअंदाज करती थी और उसके बाद के हथियारबंद संघर्ष वाली नीति मजदूर वर्ग के पार्ट को कम आंकती थी, जिसका मतलब था किसानों से उनके सबसे बड़े दोस्त और नेता को अलहदा कर देना मजदूर वर्ग केवल "सिद्धांत" में ही, सिर्फ पार्टी के जरिये ही नेता माना गया क्योंकि पार्टी मजदूर वर्ग की पार्टी मानी जाती है।

दोनों ही नीतियों का व्यवहार में मतलब होता था मजदूर- वर्ग और किसान वर्ग की दोस्ती के निर्माण को छोड़ देना जो संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे की बुनियाद होती है और संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे के निर्माण कार्यों को भुला देना तथा मुक्ति संग्राम में मजदूर वर्ग को इस मोर्चे का नेता बनाने के काम को त्याग देना।

हमें समझ लेना चाहिए की वह समझ गलत थी। मजदूर-वर्ग का नेतृत्व सिर्फ पार्टी और उसके द्वारा चलाये गए किसान संघर्षों के जरिये ही स्थापित नहीं होता बल्कि, वास्तव में, कार्यों के जरिये, मजदूरों द्वारा किसानों की मांगों के दिलेरीपूर्ण समर्थन तथा अपने कार्यों द्वारा किसान संघर्षो की मदद से ही प्राप्त किया जाता है।

मैत्री केवल सिद्धांत में ही नहीं बल्कि कार्य और अमल में प्रकट होनी चाहिए। मजदूर- वर्ग अमली दोस्त है और उसे लड़ाकू किसानों की सहायता करनी चाहिए तथा सामान दुश्मन के ऊपर विजय को पक्का करना चाहिए।

मजदूर-वर्ग, खेत मजदूरों और गरीब किसानों पर भरोसा करके पूरी किसान जनता से मजबूत सहयोग कायम करके तथा पूरी जनता को साथ लेकर तथा शहरी और देहाती क्षेत्रों में जमींन, रोटी, रोजी और शांति के लिए युद्धों का नेतृत्व करता हैं।

केन्द्रीय कमेटी इतिहास के इस महान सबक को तमाम साथियों तक पहुँचा देना चाहती है। यह सबक न तो केवल रुसी पथ है और न चीनी बल्कि हिन्दुस्तानी हालतों में लागू किये गये लेनिनवाद का पथ है ।

अपने भावी कामों की यह सामझ हमें जन-आंदोलन, मज़दूर सभाओं, किसान सभाओं, और खुद पार्टी के निर्माण का भी एक नया दृष्टिकोण और रास्ता प्रदान करती है।

यह समझ पार्टी साथीयों को यह दिखायेगी कि मुख्य सवाल हथियार बन्द संघर्ष के होने या न होने का अथवा हिंसा और अहिंसा का नहीं है।हिंसा और अहिंसा के सवाल को इस तरह पेश करने का तरीका तो हमारे विरोधियों का है। सवाल को इस तरह रखना गांधीवादी विचारधारा का ढंग है जो व्यवहार में जनता को गुमराह करता है और इसीलिये ऐसी स्थापना से हमें दूर रहना चाहिये। दुनिया में हर एक देश की पार्टी और जनता के लिये इस प्रश्न का फैसला बहुत पहले मार्क्सवाद और इतिहास हमेशा

के लिये कर चुके हैं। अपने हितों की रक्षा और मुक्ति की प्राप्ति के लिये किये गये जनता के सभी कार्य पवित्र होते है। प्रगति और आज़ादी की राह से ह्रास और प्रतिक्रिया के रोड़ों को हटाने के लिये जनता जो भी करना चाहे इतिहास उसकी इज़ाजत देता है।

यह समझ हमें यह भी बताती है कि हमारी तमाम पुरानी समझें एकांगी और त्रुटिपूर्ण थी तथा उन्हें हमें छोड़ देना चाहिये।

व्यक्तिगत आतंकवाद से लड़ो

लेकिन एक कारवाई कि इतिहास इज़ाजत नहीं देता और वह है व्यक्तिगत आतंकवाद। व्यक्तिगत आतंकवाद एक वर्ग या प्रणाली के व्याक्तियों के खिलाफ व्यकतियों, गिरोहों या टोलियों द्वारा किया जाता है, इसमें जो व्यक्ति भाग लेते है वे बहादुर और निस्वार्थ हो सकते है, जनता उनकी तारिफ भी कर सकती है और यहां तक कि उन्हें ऐसी कार्यवाई करने का निमंत्रण भी दे सकती है और जिन व्यक्तियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाई की जाती है कि वे अत्यंत घृणित भी हो सकते है। फिर भी मार्क्सवाद ऐसी कार्यवाईयों की अनुनती नहीं देता। और क्यों? सीघी वजह यह है कि इसमें जनता हिस्सा नहीं लेती। आतंकवाद से यह भी विश्वास पक्का होता है कि वीर लोग जनता के लिए सब कार्य कर देंगे। यह भी विश्वास बढ़ता है कि ऐसे अनेक कार्यों के योग से एक वर्ग या व्यवस्था मिटायी जा सकती है। अन्तिम तौर पर इससे जनता की अकर्मण्यता और सुस्ती बढ़ती है, क्रान्ति की ओर उसका अपना अमल और विकास रुक जाता है जिससे अन्त में पराज्य होती है। इसलिये मार्क्सवाद व्यक्तिगत आतंकवाद के खिलाफ चेतावनी देता है और उस पर पाबन्दी लगाता है।

तात्कालिक स्थिति और कार्य

अब एक जरुरी सवाल यह रह गया है कि रास्ते और भविष्य की रुपरेखा का ज्ञान तो हमें हो गया परन्तु क्या करें? तात्कालिक कार्य के प्रश्न पर भविष्य की रुपरेखा प्रभाव जरुर डालती है मगर उसे सम्पूर्णत्तया निश्चित नहीं करती। तात्कालिक प्रश्न वर्त्तमान परिस्थिति के ब्यौरे से भी निश्चित होता है। सरकार जनता से कितनी अलग हो चुकी है, उसके बारे में जनता के भ्रम किस कदर टूट चुके हैं, जनता किस हद तक सघंर्ष करने को तैयार है- ये कुछ बातें हैं जो तात्कालिक कामों और नारों को निश्चित करती है।

कुछ लोग कहते है कि सरकार कि सरकार पूरी तरह बदनाम और जनता से अलग हो चुकी है, वह विद्रोह करने को तैयार है और कई स्थानों पर सरकार से टक्कर ले रही है जो पुलिस की गोलियों के नगें शासन ने देश में गृह-युद्ध की हालतें पैदा कर

दी है। अत: हमारा समस्त कार्य परिस्थिति कि इसी समझ से संचालित होना चाहिये। हम तफसील में इस सवाल पर बहस करना जरुरी नहीं समझते।

बेशक, सरकार का सकंट गहरा है लेकिन वह जनता से पूरे तौर पर अलहदा नहीं हुई है।

जैसा कि पार्टी के प्रोग्राम में कहा गया है:-

“मौजूदा सरकार में जनता का विश्वास उठ गया है, इसके प्रती गहरा अविश्वास पैदा हो रहा है, वह सरकार को अपना दुश्मन समझती जा रही है, ऐसा दुश्मन जो जनता के विरुद्ध जमींदारों, महाजनों और अन्य शोषकों की रक्षा करता है।” इसिलिए, “जनता धीरे-धीरे संघर्ष में उठ रही है और अब वह घुल घुलकर भुखमरी और मौत की दशाको ज्यादा बरदाश्त नहीं कर सकती।”

लेकिन यह कहना, कि देश आज हथियारबन्द विद्रोह और क्रान्ति की दहलीज पर खड़ा है या देश में गृह युद्ध शुरु हो चुका है, बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी। यदि हम परिस्थितियों को इतना गलत समझेंगे तो दुस्साहसिकता में फँस जायेंगे और ऐसे नारे देंगे जो जनता की समझ और चेतना तथा तैयारी और सरकार के अलगाव के स्तर के मुताबिक नहीं होंगे। ऐसे नारे हमें जनता से अलग कर देंगे और आम जनता को सुधारवादी फूट डालने के हाथ में डाल देंगे।

इतने ही गलत वे साथी है, जो महज जनशक्तियों की फूट और प्रतिक्रिया के हमले को ही देखते है और जो शक्तियों को फिर से बटोरने के नाम पर और एस नाम पर कि सब जंगजू कार्यों को करना दमन को न्यौता देना होगा, एक पीछे हटने की नीति प्रतिपादन करते है। परिस्थिति की ऐसी समझ के आधार पर बानायी गयी कार्यनीति पर चलने का मतलब होगा जनता के साथ गद्दारी और दुश्मन के सामने आत्म समर्पण।

परिस्थिति के गम्भीर मुल्यांकन की भूमिका में हमें जनता के संघर्षों कि रहनुमाई करनी है।

दुस्साहसिकता से अपने को बचाते हुये यह भी नहीं भूल जाना चाहिये कि संकट हल होने के बजाय बढ़ रहा है। इसलिये हम आराम तलब का रुख अख्तियार नहीं कर सकते और इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते जैसे मानों कोई गहरा संकट जनता को न हिला रहा हो और सामने भयानक संघर्ष न खड़े हों।

चुँकि विद्रोह और गृह युद्ध नहीं चल रहा है इस आधार पर कुछ लोग ऐसे तरीके पर काम करना चाहेंगे मानो वे एक प्रजातंत्र में रहते हों, जिसके अन्तर्गत अधिकार और आजादियाँ है, और मानों पार्टी और जनसगंठनों के नेतृत्व को पागल हुए कानून के हमलों से बचाने के लिये कुछ करने की जरुरत नहीं। ऐसे दृष्टिकोण से हम खत्म हो जायेंगे और कुछ भी नहीं बना पायेंगे।

लेकिन इस आधार पर कि सकंट बढ़ रहा है और कूच-बिहार जैसे साधारण खाद्य जलूस पर भी गोली चलायी जाती है जिससे हजारों लोग सडक़ों पर निकल आते है, कुछ लोग जन-संस्थाओं को चलाने के रोजमर्रा के थकाने वाले काम का बालायेताक सखना चाहेंगे। फालिज्म का अवश्यम्भावी अथवा पहले ही से सत्तारुढ़ मानकर वे लोग पार्लियामेंट के चुनावों या नगरिक अधिकारों के लिये संघर्ष का, जिसके लिये भारी जनसमुदायों को आन्दोलित किया जा सकता है और किया जाना चाहिये, मज़ाक बनायेंगे।

हमें यह समझ लेना चाहिये कि यघपि जनता तेजी से उग्र बनती जा रही है और देश के बहुत से हिस्सों में संघर्ष में उतर रही है, फिर भी मौजदा सरकार और उसकी नीतियों और तरिकों के प्रति असन्तोष की बढ़ती के अनुपात में जन-आन्दोलन की प्रगति नहीं हुई है। खाली दमन को इसकी वजह बताना गलत होगा। सबसे ऊपर, जन-आन्दोलन की कमज़ोरी का कारण है हमारी पार्टी की कमज़ोरी और प्रगतीशील शक्तियों में फूट।

इसलिये पार्टी की इस फूट को खत्म करना चाहिये, उसे समस्त प्रगतिशील शक्तियों की एकता की अत्यधिक आवश्यकता पर जोर देना चाहिये, संघर्षों में इस एकता का निर्माण करना चाहिये और लड़ाकू जनता के बेहतरीन तत्वों को अपने अन्दर लाकर खुद अपने को एक जन-पार्टी के रुप में विकसित करना चाहिये।

हमें पार्लियामेंट और हर क्षेत्र के चुनाव, जहाँ ज्यादा जनता को आन्दोलित या एकत्र किया जा सके और हितों की रक्षा की जा सके, जरुर लडऩे चाहिये। जहां भी जनता हो और वह हमें चाहती हो वहां हमें जरुर रहना चाहिये।

मजदूर वर्ग की एकता और पार्टी का महत्व

पार्टी को मजदूर वर्ग की एकता कायम करनी है और तमाम जनता के प्रति उसके कामों को उसे बताना है। कम से कम सम्भंव वक्त में मजदूर वर्ग के आन्दोलन को मौजूदा फूट पर, जो मजदूर संघर्ष के विकास को रोकती है, हमें काबू पाना है और मजदूर वर्ग के सयुक्त जन संगठन बनाने है।

मजदूर वर्ग को राजनैतिक दृष्टि से भी चेतनावान बनाना है। केवल संयुक्त और राजनैतिक दृष्टि से चेतनाशील मजदूर वर्ग ही जनता की रहनुमाई के काम को पूरा कर सकता है।

कृषि सुधारों के संघर्ष के लिये हमें किसान वर्ग के तमाम हिस्सों को, जिनमें अमीर किसान भी शामिल है, जागृत करना है और इस संघर्ष के दौरान में खेत-मजदूरों और

गरीब किसानों के जो दोनों मिलकर खेतिहर आबादी का बहुमत है, आधार पर जन किसान सभाएँ पुन: संगठित करनी है।

यह भी याद चाहिये कि हमारे देश के बड़े विस्तार के कारण, कृषि संकट तथा मजदूर और किसान आन्दोलन के असमान विकास के कारण, किसान जनता के संगठन और चेतना और पार्टी के प्रभाव की असमान स्थिति के कारण हर जगह पर किसान आन्दोलन के विकास की रफ्तार समान नहीं होगी और संकट की परिपक्वता, किसान जनता की एकता और और मनोभाव, पार्टी के प्रभाव और शक्ति इत्यादि बातों के आधार पर संगठन और संघर्ष के भिन्न भिन्न तरीके अख्तियार किये जायेंगे।

ये तमाम काम हमसे मागं करते है कि हम जनता के अन्दर रोजमर्रा बहुत घीरज के साथ गहरा काम करें; अपने बुनियादी प्रोग्राम तथा तात्कालिक साधारण मांगों का निरन्तर प्रचार करें, आम और स्थानीय दशाओं के अनुसार जनता के हर एक हिस्से के लिये ऐसी ठोस मांगें बनायें, जन संघर्षों को असली नेतृत्व दें, संघर्ष के विभिन्न स्वरुपों को मिलाकर इस्तेमाल करें, और जन सगंठनों का एक जाल योजना अनुसार फैलायें।

इन कार्यों की यह मांग है कि चेतनाशील एकता और अनुशासन के आधार पर कम्युनिस्ट प्रार्टी का निर्माण करें और उसमें मजदूर वर्ग और जनता के सबसे उत्तम और आगे बढ़े हुए तत्वों को लाये और दृढ़ता के साथ उसके विचारात्मक स्तर और व्यावहारिक योग्यता को विकसित करने के लिये संघर्ष करें कि वह आजादी और जनवाद के लिए संघर्ष के नेता का कार्य पूरा कर सके।

जन सगंठन और पार्टी, जिनका निर्माण हम करें, ऐसी हों जो अपने खिलाफ सरकार द्वारा निरन्तर बरसाये जाने वाले दमन की आग का मुकाबला कर सकें।

शान्ति के लिये संघर्ष

जनता के बचाव के लिये मुख्य कामों में से एक काम शान्ति आन्दोलन का निर्माण करना है।हमें जनता की सक्रिय चेतना में यह बात बैठा देनी है। अपनी सत्ता बचाने के खातिर शासक वर्ग जनता को हमेशा युद्ध में फाँसाने के लिये तैयार रहेगा जिसमें उनके ख़िलाफ हम अपनी लड़ाई त्याग दें।

जनता की चेतना में हमें यह बात लानी चाहिये कि यघपि हम किसी भी वर्ग या समुदाय और इस सरकार द्वारा शान्ति रक्षा के लिये किये गये किसी भी कार्य का समर्थन करते है फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि साम्राज्यवादी जंगखोरों, जागीरदारों और मुनाफाखारों के असर में यह सरकार एक संगत और ईमानदार शान्ति नीति पर नहीं चलती बल्कि अमरिका और इंगलैन्ड की प्रतिद्धंद्धिता से फायदा उठाने के लिए चालें चलती है। और साथ ही शान्ति प्रिय देशों और जंग खोरों के बीच भी चालें

चलती है जनता के कार्यों के द्वारा ही ऐसी अंसगति पर काबू पाया जा सकता है। हमें पाकिस्तान, भारत और लंका के बीच एक शान्ति के समझौते के लिए, एटम बम पर रोक तथा हथियारों तथा फौजी बजट में कटौती के लिए संघर्ष करना चाहिये। हमें जनता के लिये उसकी ज़मीन, रोटी-रोजी और तनख्वाह तथा सबके लिये खुशहाली के उसके अपने मसलों के रुप में शान्ति आन्दोलन को सजीव बनाना चाहिए।

औपनिवेशिक युद्धों का विरोध करो

शान्ति आन्दोलन को चाहिए कि वह दक्षिणी-पूर्वी एशिया में अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा लड़े जाने वाले औपनिवेशिक युद्धों के खिलाफ विस्तृत विरोध का संगठन करे और मौजूदा भारतीय सरकार द्वारा इन साम्राज्यवादियों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता को रोके।

कम्युनिस्ट पार्टी ने जो कार्यकम्र जनता के सामने रक्खा है वह तमाम जनवादी शक्तियों और वर्गों, तथा उन तमाम समुदायों के हित में है, जो भारत को आज़ाद, सुखी और शक्तिशाली देखना चाहते है।

इसलिये हम इस कार्यकम्र की प्राप्ति के लिये अपनी तमाम जनता को एक सूत्र बांधने की कोशिश करेंगे। जनता के सामने जो समस्याएँ है हम उनके आधार पर संघर्ष के दौरान में इस एकता का निर्माण करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपनी जनता के समस्त हिस्सों के संधर्षों को विकसित करें और उन्हें उनकी आजादी, जनवाद तथा शान्ति के एक समान आन्दोलन में मिला दें।

इन कामों को पूरा करते समय हमें हर एक प्रान्त तथा जिले और सम्पूर्ण देश के मजदूरों, किसानों, अन्य वर्गों और समुदायों के संधर्षों को चतुराई के साथ एक सूत्र में पिरोना सीखना है।

इन संधर्षों में से निकले हुए बहादुर लड़ाकों को पार्टी में लाकर उन्हें पार्टी के निर्माता और संगठन-कर्त्ता बनाना है। तभी पार्टी एक वास्तविक जन-पार्टी बनेगी और साथ ही परखे और तपे हुए क्रान्तिकारियों की एक सुसंगठित पार्टी रहेगी।

भावी चित्र और रास्ते के स्पष्ट हो जाने और तात्कालिक कार्यों की रूप रेखा बन जाने पर सामंती और साम्राज्यवादी गुलाम बनाने वालों के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष में हम अवश्य विजयी होंगे आौर इस जन-विरोधी सरकार को हटा कर जनता के जनतन्त्र की सरकार की स्थापना करेंगे ।

पुस्तकें मिलने का पता—

प्रोग्रेसिव बुक शोप,
प्यारे लाल शर्मा रोड़ (कचहरी पुल के पास)
मेरठ

यदि आप विस्तार के साथ कार्यक्रम आौर नीति को समझना चाहते हैं तो निम्नलिखित पुस्तकों को जरुर पढ़िये:—

१ दो कार्य नीतियां लेनिन
२ चीनी क्रान्ति आौर स्तालिन
३ चीनी क्रान्ति की शिक्षायें
४ चीन की लोकशाही माव से तुंग
५ भारतीय परिस्थिति जुकोव
६ भारतीय संघ आौर पाकिस्तान एलिग्ज़ेफ
७ हिन्दुस्तानी जनता के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की नई मंजिल बालावुशेविच
८ बृटिश शासन का सकंट आौर हिन्दुस्तानी जनता की लड़ाई का नया दौर दयाकोव

प्रभात प्रेस, नौचन्दी मैदान, मेरठ ।